

### कार्यालय ज्ञाप

प्रायः यह दृष्टिगोचर हुआ है कि लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा सम्पादित करवाए जा रहे विभिन्न मार्गों के नवीनीकरण तथा सुदृढीकरण से पूर्व Existing Pavment पर Profile Corrective Course का प्राविधान नहीं किया जाता है जिस कारण नवीनीकरण तथा सुदृढीकरण के उपरान्त भी मार्ग पर Surface Irregularities बनी रहती हैं तथा Riding Quality में सुधार नहीं हो पाता है। अतः एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि निम्न दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए नवीनीकरण तथा सुदृढीकरण के समस्त आगणनों में Profile Corrective Course का प्राविधान सुनिश्चित किया जाए :

1. The Profile corrective course is essentially a levelling course laid to varying thickness for correcting the existing pavement profile which has either lost its shape or has to be given a new shape to meet the requirements of specified lines, grades and cross sections.

Most bituminous overlay works require the construction of a profile correction course in order to correct the camber of the existing surface and rectify local irregularities in the longitudinal profile.

2. Depending upon site requirement, profile corrective course may be laid as part of the overlay/strengthening course, or as a separate layer.
3. If laid as part of the overlay/strengthening course, the material for the profile corrective course should be the same as that of the overlay/strengthening course.
4. If laid as a separate layer before renewal of the existing bituminous surface, and when strengthening of the existing pavement is not required, the profile corrective course shall be laid with one or more layers of 20 mm thick Premix Carpet depending upon the thickness of the profile corrective course required.

5. Where the existing surface is granular in nature or where the old bituminous layer has been scarified and the required thickness of profile corrective course is over 40 mm, the profile corrective course shall be with WBM (G3) material. If, however, the required thickness of the profile corrective course is less than 40 mm, the profile corrective course shall be of 20 mm thick Premix Carpet.

नवीनीकरण तथा सुदृढीकरण कार्यों के आगणन गठित करने से पूर्व कार्यस्थल पर मार्ग के L- Section तथा Cross Sections तैयार कर Profile Corrective Course की मात्रा ज्ञात कर ली जाएँ तथा ऐसे स्थान जहाँ Profile Correction की आवश्यकता है उन्हें पेंट से चिन्हित कर लिया जाए।

  
प्रमुख अभियन्ता  
लो०नि०वि०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. तकनीकी सलाहकार, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लो०नि०वि०, पौड़ी / देहरादून / अल्मोड़ा / हलद्वानी।
4. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय / मुख्य अभियन्ता ए०डी०बी० / आई०टी० / रा०मा० / पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि० देहरादून / अल्मोड़ा।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. अधिशासी अभियन्ता टी०ए०सी० वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर I, II / समस्त अधिशासी अभियन्ता कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लो०नि०वि० देहरादून।
8. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०), कार्यालय विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. Head IT(Operations) को इस आशय से कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप लोक निर्माण विभाग की website पर upload कर दें।

प्रमुख अभियन्ता  
लो०नि०वि०